diuh vfèkfu;e 1956 dh èkkjk 619 ¼4½ d vrxr ,vj bfM;k fyfeVM d 31 ekp] 2013 dk lekIr o"k d y[kk ij Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;kA

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ,vj bfM;k fyfeVM ¼,vkbl,y½ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके दिनांक 4 फरवरी, 2014 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत ,vj bfM;k fyfeVM के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। यह संपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों के दस्तावेजों के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखा खातों की चयनित जांच के साथ स्वतंत्र रूप से की गई है। अपनी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक हैं :

d- ryu i=

d-1 bfDoVh vkj n;rk,

'k;jèkkjdk dh fufèk;k

orEku n;rk,

vU; n;rk, % 73]024-5 fefy;u ¼ukV 5½

अगस्त, 2013 में एआईएल और एएआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के देयों के विलंबित भुगतान के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर देय (760 मिलियन रुपए) ब्याज राशि उपर्युक्त में शामिल नहीं है। एआईएल ने इस आधार पर एएआई को देय ब्याज राशि को देयता के रूप में निर्धारित नहीं किया है कि एएआई को देयों के विलंबित भुगतान के कारण कोई हानि नहीं हुई है। समझौता ज्ञापन और वाणिज्यिक सिद्धांतों के मद्देनज़र एआईएल का दावा तर्कसंगत नहीं है। तथापि, इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के समक्ष रखा गया। नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन की शर्तों एवं निबंधनों पर राहत देने हेतु दोनों पार्टियों के लिए कोई परामर्श/निर्देश अभी तक (मार्च, 2014) जारी नहीं किए हैं। अतः एआईएल द्वारा लेखों का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियों – नोट सं0 71(क) में आकस्मिक देयता के रूप में दी गई राशि उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार एआईएल पर 760 मिलियन रुपए की देयता का प्रावधान होना चाहिए। देयता का प्रावधान न किए जाने के फलस्वरूप वर्ष में वर्तमान देयताएं और हानि में से प्रत्येक में 760 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए हैं ।

d- 2 orEku n;rk,

vU; orEku n;rk, % 73]024-5 fefy;u #i, ¼ukV 5½

उपर्युक्त में 31 मार्च, 2013 को कर्मचारियों जिन्हें एआईएल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2013 को (लैप्सेबल पीएल के नकदीकरण की योजना समाप्त होने से पहले) ऑफर दिया गया था कि कर्मचारी अपनी इन छुट्टियों का नकदीकरण करा लें या तीन महीने के भीतर अपनी छुट्टियां ले लें, किन्तु 31 मार्च, 2013 तक धनराशि की कमी के कारण कंपनी इन दावों का निपटान/भुगतान नहीं कर पाई, से प्राप्त लैप्सेबल प्राधिकार छुट्टी (पीएल) के नकदीकरण के दावे के रूप में 151.9 मिलियन रुपए की राशि सम्मिलित नहीं है। लेखों का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियों के नोट सं0 80 में निश्चित देयता के स्थान पर आकस्मिक देयता 150 मिलियन रुपए की सीमा पर त्रुटिपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में वर्तमान देयताएं और हानि में से प्रत्येक में 151.9 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए हैं।

d- 3 ifjlifÙk;k & xj&orEku ifjlifÙk;k

LFkk;h ifjlifÙk;k& eÙk ifjlifÙk;k

Hkfe&yht gkYM% 63]421-4 fefy;u #i, ¼ukV 8] ukV 33¼[k½½

'पूर्व एअर इंडिया लिमिटेड'[1] तथा 'पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड'[2] के नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (दिनांक 24 नवम्बर, 2010 से एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) के रूप में नया नाम) में समामेलन की योजना के अनुसार एआईएल की अचल

---

1 वर्तमान कम्पनी इअर इंडिया लिमिटेड से अलग, एक अन्य कम्पनी नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) में अपने विलय से पूर्व कार्य कर रही थी।

2 नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) में विलय से पूर्व कार्य कर रही कम्पनी से अलग कम्पनी।

संपत्तियों को दिनांक 1 अप्रैल, 2007 की नियत तिथि पर एआईएल द्वारा नियुक्त किए गए मूल्यांकक द्वारा निर्धारित उचित मूल्यों के अनुसार पुनः मूल्यांकित किया गया। इन्हीं में से एक लीज़धारी भूमि पर निर्मित वसंत विहार, नई दिल्ली स्थित हाउसिंग कॉलोनी की इस भूमि दिनांक 1 अप्रैल, 2007 को 51,295.1 मिलियन रुपए पर पुनः मूल्यांकित की गई थी, हालांकि संपत्ति की लीज़ डीड को पट्टादाता यानि भूमि एवं विकास कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा नवम्बर, 1983 में रद्द कर दिया गया था। इस भूमि पर कंपनी के लीज़ अधिकारों और स्वामित्व को अभी तक (मार्च, 2014) एआईएल के नाम पर पुनः बहाल नहीं किया गया। बाज़ार मूल्य पर इस संपत्ति का मूल्यांकन जिसके लिए कंपनी ने कोई अधिकार और हक नहीं रखा, क्रम में नहीं है।

इस संबंध में, गत वर्षों के दौरान एआईएल के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद कंपनी संबंधित लीज़धारी भूमि को अपने लेखों में निरंतर बढ़े हुए मूल्य पर दर्शा रही है।

d- 4 ifjlifÙk;k & xj&orZeku ifjlifÙk;k

LFkk;h ifjlifÙk;k& eÙk ifjlifÙk;k

Hkfe&yht gkYM% 63]421-4 fefy;u #i, ¼ukV 8½

इसमें बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली स्थित 0.46 एकड़ की भूमि के लिए 619.9 मिलियन रुपए का अधिक मूल्यांकन सम्मिलित है जो एआईएल के कब्ज़े में नहीं है। दिनांक 7 जून, 2013 को शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) ने भूमि आबंटन को कम करके 4 एकड़ से 3.54 एकड़ कर दिया। वर्ष 2012–13 के लेखों के अनुमोदन से पहले यह पता चलने के बावजूद कि कंपनी के कब्ज़े में स्थित उक्त भूमि 4 एकड़ की जगह 3054 एकड़ की हो गई थी कंपनी ने वर्ष 2012–13 के अपने लेखों में उक्त भूमि को 4 एकड़ में मूल्यांकित किया है और इसलिए कंपनी ने ''तुलन पत्र तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताओं और घटनाओं'' पर लेखा मानक–4 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। इसके फलस्वरूप मूर्त परिसंपत्तियां–भूमि लीज़धारी को 619.9 मिलियन रुपए अधिक दर्शाया गया और वर्ष के लिए हानि को इसी सीमा तक कम दर्शाया गया ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/–
ijek lu
प्रधान निदेशक–वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा मंडल–II, मुम्बई

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 25 अप्रैल 2014

fnukd 31 ekp] 2013 dk lekIr o"k d fy, diuh d y[kk ij diuh vfèkfu;e] 1956 dh èkkjk 619¼4½ d vrxr Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;k ij icèku d mÙkj

Ø- l0	y[kk ijh{kk fVIif.k;k	Ikcèku d mÙkj
d-	rqyu i=	
d-1	bfDoVh vkj n;rk, 'k;jèkkjdk dh fufèk;k orèku n;rk, vU; n;rk, % 73]024-5 fefy;u ¼ukV 5½ अगस्त, 2013 में एआईएल और एएआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के देयों के विलंबित भुगतान के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर देय (760 मिलियन रुपए) ब्याज राशि उपर्युक्त में शामिल नहीं है। एआईएल ने इस आधार पर एएआई को देय ब्याज राशि को देयता के रूप में निर्धारित नहीं किया है कि एएआई को देयों के विलंबित भुगतान के कारण कोई हानि नहीं हुई है। समझौता ज्ञापन और वाणिज्यिक सिद्धांतों के मद्देनज़र एआईएल का दावा तर्कसंगत नहीं है। तथापि, इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के समक्ष रखा गया। नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन की शर्तों एवं निबंधनों पर राहत देने हेतु दोनों पार्टियों के लिए कोई परामर्श/निर्देश अभी तक (मार्च, 2014) जारी नहीं किए हैं। अतः एआईएल द्वारा लेखों का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियों – नोट सं0 71(क) में आकस्मिक देयता के रूप में दी गई राशि उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार एआईएल पर 760 मिलियन रुपए की देयता का प्रावधान होना चाहिए। देयता का प्रावधान न किए जाने के फलस्वरूप वर्ष में वर्तमान देयताएं और हानि में से प्रत्येक में 760 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए हैं।	उल्लेखनीय है कि ब्याज के मुद्दे को कंपनी और एएआई के बीच दिनांक 26.08.2013 के समझौता ज्ञापन में उठाया गया था, जिसमें पैरा 10 (उद्धृत) में कहा गया है कि ''तथापि, एअर इंडिया ने उल्लेख किया था कि इससे वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसे छोड़ देने का अनुरोध किया था। एएआई ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि एअर इंडिया निजी प्रचालकों को किए गए विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी और इसलिए एएआई के लिए ब्याज दावे को छोड़ देना दुष्कर होगा। तथापि, एएआई की समग्र वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए यह निर्णय किया गया कि एअर इंडिया विलंबित भुगतानों पर 9% की दर से ब्याज का भुगतान करेगी। तथापि, नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने निदेश दिया कि इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए नागर विमानन मंत्रालय के सचिव महोदय के समक्ष रखा जाए।'' (अनुद्धृत) एएआई को ब्याज का भुगतान अब भी विवाद का विषय है क्योंकि एअर इंडिया का यह कहना है कि एएआई द्वारा अब तक प्रमाणित नहीं किया गया है कि एअर इंडिया द्वारा किए गए विलंबित भुगतानों के कारण उन्हें कोई आर्थिक हानि हुई है। इसलिए यह मद एअर इंडिया और एएआई के बीच चर्चा का विषय है और इसे निपटारे के वर्ष में लेखाबद्ध किया जाएगा। पर्याप्त सावधानी के साथ 760 मिलियन रुपए की अनुमानित राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। लेखा टिप्पणियों के नोट 71 (क) के अनुसार इस संबंध में पर्याप्त प्रकटन कर दिया गया है।
d- 2	orèku n;rk, vU; orèku n;rk, % 73]024-5 fefy;u #i, ¼ukV 5½ उपर्युक्त में 31 मार्च, 2013 को कर्मचारियों जिन्हें एआईएल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2013 को (लैप्सेबल पीएल के नकदीकरण की योजना समाप्त होने से पहले) ऑफर दिया गया था कि कर्मचारी अपनी इन छुट्टियों का नकदीकरण करा लें या तीन महीने के भीतर अपनी छुट्टियां ले लें, किन्तु 31 मार्च, 2013 तक धनराशि की कमी के कारण कंपनी इन दावों का निपटान/भुगतान नहीं कर पाई, से प्राप्त लैप्सेबल प्राधिकार छुट्टी (पीएल) के नकदीकरण के दावे के रूप में 151.9 मिलियन रुपए की राशि सम्मिलित नहीं है। लेखों का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियों के नोट सं0 80 में निश्चित देयता के स्थान पर आकस्मिक देयता 150 मिलियन रुपए की सीमा तक त्रुटिपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में वर्तमान देयताएं और हानि में से प्रत्येक में 151.9 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए हैं।	सरकारी लेखा परीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में बीमारी की छुट्टियों का नगदीकरण रोक दिया गया है और जुलाई 2012 को शेष छुट्टियों को फ्रीज कर दिया गया है। लागत को बचाने के लिए उपाय के रूप में कंपनी ने वर्ष 2013–14 से अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण को भी समाप्त कर दिया है। सत्य तो यह है कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी फंड की उपलब्धता पर निर्भर होगा, पर्याप्त सावधानी के साथ, 150 मिलियन रुपए तक की राशि वर्ष 2012–13 की लेखा बहियों में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त, चूंकि उक्त राशि का संवितरण बाद में वर्ष 13–14 में किया गया था, इसलिए यह राशि वित्त वर्ष 13–14 में लेखाबद्ध कर दी गई है।

d- 3	ifjlifÙk;k&xj&orleku ifjlifÙk;k LFkk;h ifjlifÙk;k& eÙk ifjlifÙk;k Hkfe&yht gkYM 63]421-4 fefy;u #i, ¼ukV 8] ukV 33¼[k½½ 'पूर्व एअर इंडिया लिमिटेड' तथा 'पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड' के नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (दिनांक 24 नवम्बर, 2010 से एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) के रूप में नया नाम) में समामेलन की योजना के अनुसार एआईएल की अचल संपत्तियों को दिनांक 1 अप्रैल, 2007 की नियत तिथि पर एआईएल द्वारा नियुक्त किए गए मूल्यांकक द्वारा निर्धारित उचित मूल्यों के अनुसार पुनः मूल्यांकित किया गया। इन्हीं में से एक लीज़धारी भूमि पर निर्मित वसंत विहार, नई दिल्ली स्थित हाउसिंग कॉलोनी की संपत्ति दिनांक 1 अप्रैल, 2007 को 51,295.1 मिलियन रुपए पर पुनः मूल्यांकित की गई थी, हालांकि इस भूमि की लीज़ डीड को पट्टादाता यानि भूमि एवं विकास कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा नवम्बर, 1983 में रद्द कर दिया गया था। इस भूमि पर कंपनी के लीज़ अधिकारों और स्वामित्व को अभी तक (मार्च, 2014) एआईएल के नाम पर पुनः बहाल नहीं किया गया। बाज़ार मूल्य पर इस संपत्ति का मूल्यांकन जिसके लिए कंपनी ने कोई अधिकार और हक नहीं रखा, क्रम में नहीं है। इस संबंध में, गत वर्षों के दौरान एआईएल के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद कंपनी संबंधित लीज़धारी भूमि को अपने लेखों में निरंतर बढ़े हुए मूल्य पर दर्शा रही है।	वित्तीय विवरणी की लेखा टिप्पणियों के नोट 33 (ख) में इस संबंध में पर्याप्त प्रकटन कर दिया गया है। यह भी सूचित किया गया कि संपत्ति की लीज़ डीड नहीं कराई गई थी और केवल अलॉटमेंट (आबंटन) ही कराया गया था जोकि कुछ शर्तों के पूरा न होने के कारण रद्द कर दिया गया था। जारी किए गए अलॉटमेंट पत्र में उक्त प्लॉट के मूल्य में अनार्जित वृद्धि के 50% के बंटवारे से संबंधित कोई खण्ड नहीं दिया गया है। कंपनी ने संपत्ति की लीज़ डीड को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेकों पहले की हैं और लीज़ डीड को कंपनी के नाम पर पुनः बहाल किए जाने तक कंपनी अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी।
d- 4	ifjlifÙk;k & xj&orleku ifjlifÙk;k LFkk;h ifjlifÙk;k& eÙk ifjlifÙk;k Hkfe&yht gkYM 63]421-4 fefy;u #i, ¼ukV 8½ इसमें बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली स्थित 0.46 एकड़ की भूमि के लिए 619.9 मिलियन रुपए का अधिक मूल्यांकन सम्मिलित है जो एआईएल के कब्ज़े में नहीं है। दिनांक 7 जून, 2013 को शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) ने भूमि आबंटन को कम करके 4 एकड़ से 3.54 एकड़ कर दिया। वर्ष 2012–13 के लेखों के अनुमोदन से पहले यह पता चलने के बावजूद कि कंपनी के कब्ज़े में स्थित उक्त भूमि 4 एकड़ की जगह 3054 एकड़ की हो गई थी कंपनी ने वर्ष 2012–13 के अपने लेखों में उक्त भूमि को 4 एकड़ में मूल्यांकित किया है और इसलिए कंपनी ने ''तुलन पत्र तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताओं और घटनाओं'' पर लेखा मानक–4 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। इसके फलस्वरूप मूर्त परिसंपत्तियां –भूमि लीज़धारी को 619.9 मिलियन रुपए अधिक दर्शाया गया और वर्ष के लिए हानि को इसी सीमा तक कम दर्शाया गया।	लेखा टिप्पणियों के पैरा 33 (क) में पर्याप्त प्रकटन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 07.06.2013 के पत्र के अनुसार उक्त भूमि के लिए अब तक एमओए (संस्था की बहिर्नियमावली) निष्पादित नहीं किया गया है और अंतिम राशि का पता लगना शेष है। यह संपत्ति उन अचल संपत्तियों में से एक है जिसकी पहचान सीसीईए द्वारा अनुमोदित टीएपी/एफआरपी के अंतर्गत मौद्रीकरण के उद्देश्य के लिए की गई है। प्रबंधवर्ग संशोधित आबंटन पत्र के अनुसार संपत्ति के मूल्य में संशोधन करने के लिए कदम उठा रहा है। इस संबंध में आवश्यक लेखाकरण की कार्यवाही इस परिसंपत्ति के मौद्रीकरण के समय कर ली जाएगी। आईसीएआई द्वारा जारी एएस4 में सीमित संशोधन के अनुसार वित्तीय विवरणियों में पर्याप्त प्रकटन करना होगा। तदनुसार, वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में पर्याप्त प्रकटन पहले ही कर दिया गया है।